# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अपील संख्या :– 5004/2015**

पंकज अग्रवाल —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण दिनांक : 27.01.2014**

**आदेश की दिनांक : 08.02.2024**

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड , राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

1. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर अस्थाई रूप से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.01.1997 (अनुलग्नक–1) को हुई। आगे अपीलार्थी का कथन है कि उपरोक्त आदेश के द्वारा अन्य कार्मिकों का अस्थाई रूप नियुक्ति प्रदान की गई। समय–समय पर अपीलार्थी की सेवा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बढाई गई। अपीलार्थी का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 08.07.2003 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला रुपए 5000–150–8000 पर नियत किया गया। अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 3 पर नाम अंकित किया गया। अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि एक कार्मिक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 5124/2005 रामेश्वर लाल माथुर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई और प्रार्थना की गई कि उसे प्रथम नियुक्ति से नियमित किया जावे तथा साथ ही 18 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर समस्त परिलाभ प्रदान किए जावे। उक्त रिट याचिका को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्मिक को अभ्यावेन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने को निर्देश दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरयायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाकर समस्त सेवा परिलाभ यथा चयनित वेतनमान एवं वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जावे एवं अन्य समान कार्मिकों के समान आदेश दिनांक 05.09.2016 (अनुलग्नक–6), 19.09.2013 (अनुलग्नक–7) , 20.05.2011 (अनुलग्नक–8), 31.01.2007 (अनुलग्नक–9) एवं 02.09.2014 (अनुलग्नक–10) के अनुसार समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाया जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अपील का जवाब पेश कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4890/2009 में निर्णय द्वारा याचिकर्ताओं को प्रत्यर्थी विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार निस्तारित करने हेतु आदेशित किया। उक्त की अनुपालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा परिलाभ देने हेतु आदेश किए गये परन्तु वेतन नियमतन , वेतनवृद्धि एवं चयनित वेतनमान का लाभ दिंनांक 15.12. 2003 तक नोशलन (काल्पनिक) रूप से दिए गए। अपीलार्थी शुरूआत में पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रकरणों से समानता की मांग गलत है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।
3. अपील में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया।
4. अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रत्यर्थी विभाग को अभ्योवदन प्रस्तुत करने एवं उसे प्रत्यर्थी विभाग का अभ्यावेदन को निस्तारण करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया अपीलार्थी द्वारा किये गये निवेदन पर यह अपील इस प्रकार निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष सक्षम अधिकारी को एक माह में प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यावेदन पर गुणावगुण पर विचार करेगा और तीन माह में आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे। नियत समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**